GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: PRIVATE SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT, DELHI-54

No. DE.15(118)/PSB/ EWS/2nd onwards /2024/ 5425-5429 **Dated:** 20/09/24

CIRCULAR

Subject: Guidelines for admission under EWS/Freeship category in classes from 2nd onwards in Private Unaided Recognized Schools of Delhi (except minority) running on land allotted by DDA/Government allotted land for the academic session 2024-25 selected through Computerized Draw of lots by DoE.

In continuation of this Directorate circular dated 29/08/2024 'regarding guidelines for admission under EWS/Freeship category in classes from 2nd onwards against available seats in Private Unaided Recognized Schools of Delhi (except minority) running on land allotted by DDA/Govt. allotted land for the academic session 2024-25'. In this connection, the following instructions are issued for all concerned for taking necessary action:-

1. The computerized draw of lots for online applications received from EWS/Freeship category students for admission in 2nd class to 9th class has been conducted on 20/09/2024 (Friday).

2. The successful candidates/applicants of the computerized draw of lots shall be informed about the school allotted for admission under EWS/Freeship category through SMS on their registered mobile number, within 24 hours of completion of draw of lots.

3. The applicants can check the name of the school allotted through computerized draw of lots using Registration ID & Date of Birth at the link EWS/FREESHIP Result 2024- 25 in the module EWS/Freeship admission and EWS/Freeship admission available at the homepage of the departmental website www.edudel.nic.in.

   (a) If the applicant has been allotted the school, the screen will show the allotted school name.

   (b) If the applicant has not been allotted any school, the screen will show a message that "It is regretted that you have not been selected in the draw of lots".

   (c) If the applicant enters wrong registration ID/ Date of Birth then the screen will show a message that "No record found".

4. The successful applicants shall approach the school allotted through computerized draw of lots on or before 04/10/2024 (Friday) upto 01:00 PM during school hours along with the following documents as per the information filled in the online application form:-

   i Printout of application form / School allotment slip.
   ii Two Photograph of the candidate.
   iii Copy of Aadhar card of candidate (Not mandatory).
   iv Copy of Aadhar card of Parents/Legal Guardian.
   v Self attested copy of Legal Guardianship (wherein the Guardian, instead of Parent/ Parents, has applied for admission of the ward under their guardianship in EWS/Freeship category).
   vi Self attested copy of Proof of date of birth.
   vii Self attested copy of Residence proof.
   viii Self attested copy of Valid Income certificate Self attested copy of Valid Income certificate/BPL/AAY(Ration Card/ Food Security Card Holder).

ix SLC of candidate for admission must be countersigned by the Education Officer/DDE of concerned Zone.

x Any other relevant documents required at the time of admission.

The parents/guardians shall also keep the original documents with themselves for verification by the school authority.

5. If the successful candidate fails to approach/report the school up to on or before 04/10/2024 (Friday) upto 01:00 PM as per message communicated through SMS to successful candidates for completing the formalities for admission under EWS/FREESHIP category, his/her candidature shall be cancelled.

6. The school can check the details of the student/applicant allotted through computerized draw of lots on departmental website i.e. www.edudel.nic.in using the school ID and password through the link School Plants <EWS<EWS/Freeship Result 2024-25.

7. The school can see all the online applications details of the allotted applicants by using the link as mentioned above.

In this connection, respective Unaided Recognized Private Schools running on Govt. allotted land are hereby requested to do the following:-

(i) Place an enlarged printout of the list of students outside the school gates for the information and ease of parents.

(ii) Many parents may be approaching private schools for the first time. Therefore, in order to help and facilitate the parents of EWS/FREESHIP category children, the concerned schools must set up Help Desks within the school premises to explain to the parents the formalities regarding paper work etc. required for admission. The Staff manning these helpdesks must be instructed to cooperate with the parents/students.

(iii) School shall not deny admission to the successful candidates who have filled details of only one of the parents in the online application form.

(iv) It should be ensured by school authorities that the admission to EWS/FREESHIP category successful candidates shall not be denied on frivolous ground e.g. one or two letters are different in any name in some documents.

(v) Head of the concerned Private Unaided Recognized Schools shall not unnecessarily send the parents to the Department, for making amendments/correction in the online application forms, as the same cannot be done at this stage. Rather, they should be taking a decision based on genuineness/merit of the specific cases and must not deny admission on unjustified/frivolous grounds.

(vi) Admission is to be granted as soon as possible so that applicant/children can join the school at the earliest.

(vii) The school shall not charge any tuition fee from the students admitted under EWS/FREESHIP category. **Further, schools have to provide the free books, school uniforms and writing material to each and every student admitted under EWS/Freeship category, as is mandated for other children at the time of admission, or in any case, before 04/10/2024(Friday).**

(viii) The schools are advised to hold Introductory session for all parents together including the parents of EWS/FREESHIP category children.

(ix) The school must confirm details of the EWS/FREESHIP category successful candidates from the supportive documents produced by them.

(x) The school shall carefully carry out the necessary scrutiny/verification of the documents produced. The school must also verify the genuineness of EWS/FREESHIP certificates issued by different departments through online

(http://edistrict.delhigovt.nic.in), if available, or in writing from the office of the issuing Authority.

(xi) Valid Income certificate issued by the Competent Authority declaring the total annual family income less than Rs.1,00,000/- (Rs. One Lakh) is a valid document for admission under EWS/FREESHIP category whether it is in the name of mother or father or legal guardian of the child. School shall ensure that a valid Income certificate be submitted by parents/legal guardian.

(xii) The school shall not ask for Income certificate from those EWS category parents who submit copy of BPL/AAY/Food Security Card issued by Food and Civil Supply Department, GNCT of Delhi.

(xiii) The school shall not impose the condition for the copies of the documents produced at the time of admission to be attested by a Gazetted Officer, self attested documents must be accepted by the school. However, verification with original documents must be carried out by the school.

(xiv) The school shall issue proper acknowledgment against the request of the parents/guardian seeking admission in the school as declared in the computerized draw of lots.

(xv) The school shall call all candidates allotted through computerized draw of lots on their registered mobile number informing about the selection in the school and last date of admission.

(xvi) The school shall not refuse to grant admission to EWS/FREESHIP category children on the ground of distance range.

(xvii) Every selected student has been allotted a Serial Number in order of their selection in the respective school through computerized draw of lots and list of candidates has been forwarded online in the same order to the respective school. **The school shall give admission to selected candidates in order of the serial number allotted to the candidate through computerized draw of lots as available on the online module.**

(xviii) The school shall update the correct admission status as per the options available on the web page of the respective schools (Admitted/provisionally Admitted/Not Reported/Rejected/In-waiting) in respect of the applicants allotted through computerized draw of lots latest by **04th October, 2024 (Friday)**. The said details shall be updated daily through the link School Plant<EWS<EWS/FREESHIP Result 2024-25, available on department website www.edudel.nic

(xix) On the above mentioned link, the school shall clearly specify, in detail, the reason of rejection, if any selected applicant is denied the admission. The category of the reasons may be selected from the following grounds:-

- Non-submission of valid Date of Birth proof of the candidate.
- Non-submission of valid residence proof. Non-submission of valid EWS proof.
- Mismatch of address details filled in the online form & documents produced at the time of admission.
- The Income Certificate does not show annual income as less than one lakh per annum.
- Duplicate Entry found at any stage of admission will be liable for rejection.

(xx) Regarding prohibition of demand of capitation fee/ donation at the time of admission "capitation fee means any kind of donation or contribution of payment other than the fee notified by the school" As per the order of Hon'ble High Court in L.PA 196/2004 in the matter of Rakesh Goyal Vs. Mont Fort School and section 13(1) of RTE Act, 2009 no school or person shall, while admitting a child, collect any Capitation fee, donation from the parents. Any school or person who contravenes this provision and receive Capitation fee, shall be punishable with fine which may extent to 10 times the Capitation charged.

General Instructions for all concerned:

1. **The school once allotted to the applicant through the computerized draw of lots shall not be changed under any circumstances.**

2. The admission of the child shall be cancelled in case the documents submitted by the applicant at the time of admission are found to be forged/fake or not supportive at any stage.

3. Multiple/Duplicate entries, if found at any stage, shall be liable to cancellation of the candidature/admission of the candidate.

4. All the grievances related to Private Unaided Recognized schools of Directorate of Eudcation, all aggrieved parents can approach concerned Education Department of Directorate of Education, Delhi where Nodal officers for their respective district have been appointed and the details have been attached as **Annexure-'A'**.

5. For any clarification/grievances in this context, parents/school may contact respective Dy. Director of Education (District/Zone)/Assistant Director. All-District (DDE/Zone)/Assistant Director are requested to ensure that above said instructions are adhered strictly by all the Private Unaided Recognized Schools. Further, all Dy. Directors of Education (District/Zone)/Assistant Director shall attend the EWS/FREESHIP parents sympathetically and resolve their grievances, if any, related to admission in co-ordination with respective school and shall issue appropriate directions to the schools regarding admission of the applicant, if necessary.

6. For any clarification/grievances in this context, parents/school may contact on the EWS Helpline numbers 9818154069 on working days from Monday to Friday between 10:00 am to 5:00 pm.

All the above directions are issued for strict compliance by all concerned and non-compliance of the order shall be viewed seriously.

This issues with the approval of the competent authority.

20/9/24

SUSHITHA BIJU
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

No. DE.15(118)/PSB/EWS/2nd onwards /2024/ 5425-5429 **Dated:** 20/09/24

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education), Directorate of Education, GNCTD.
2. PS to Director (Education), Directorate of Education, GNCTD.
3. All Regional Director of Education, Directorate of Education, GNCTD.
4. All DDEs (District),Directorate of Education, GNCTD.
5. Incharge (computer cell) with the request to upload the same on the Department's website in **Public Circular.**

20/9/24

SUSHITHA BIJU
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय: निजी स्कूल शाखा

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

No. DE.15(118)/PSB/ EWS/2nd onwards /2024/ 5425-5429 **दिनांक:** 20/09/24

परिपत्र

विषय: डीडीए/सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे दिल्ली के निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों पर कक्षा-2 से आगे की कक्षाओं में कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लॉट के माध्यम से ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश।

इस निदेशालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 29/08/2024 के क्रम में 'शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए डीडीए/सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर चल रहे दिल्ली के निजी गैर-सहायता तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक को छोड़कर) में कक्षा-2 से आगे की कक्षाओं में उपलब्ध सीटों पर ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश। इस संबंध में, आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधितों के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. दूसरी कक्षा से नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लॉट 20/09/2024 (शुक्रवार) को आयोजित किया गया था।
2. कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लॉट के सफल उम्मीदवारों/आवेदकों को ड्रा के लॉट के पूरा होने के 24 घंटे के भीतर उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवंटित विद्यालय के बारे में सूचित किया जाएगा।
3. आवेदक विभागीय वेबसाइट www.edudel.nic.in के होमपेज पर उपलब्ध मॉड्यूल ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप एडमिशन में ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप रिजल्ट 2024-25 लिंक पर पंजीकरण आईडी और जन्म तिथि का उपयोग करके कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लॉट के माध्यम से आवंटित विद्यालय का नाम देख सकते हैं।
   (क) यदि आवेदक को विद्यालय आवंटित किया गया है, तो स्क्रीन पर आवंटित विद्यालय का नाम दिखाई देगा।
   (ख) यदि आवेदक को कोई विद्यालय आवंटित नहीं किया गया है, तो स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा कि "यह खेदजनक है कि आप ड्रा के लॉट के लिए चयनित नहीं हुए हैं"।
   (ग) यदि आवेदक गलत पंजीकरण आईडी/जन्म तिथि दर्ज करता है, तो स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा कि "कोई रिकॉर्ड नहीं मिला"।
4. सफल आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 04/10/2024 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे तक विद्यालय समय के दौरान कम्प्यूटरीकृत ड्रा द्वारा आवंटित विद्यालय में संपर्क करेंगे:-
   i. आवेदन पत्र / विद्यालय आवंटन पावती का प्रिंटआउट।
   ii. उम्मीदवार की दो तस्वीरें।

सु.नि.

iii. उम्मीदवार के आधार कार्ड की प्रति (अनिवार्य नहीं)।

iv. माता-पिता/कानूनी अभिभावक के आधार कार्ड की प्रति।

v. कानूनी संरक्षकता की स्व-सत्यापित प्रति (यदि अभिभावक ने माता-पिता के बजाय ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी में अपने संरक्षकता के तहत विद्यार्थी के प्रवेश के लिए आवेदन किया है)।

vi. जन्म तिथि के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।

vii. निवास प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति।

viii. वैध आय प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति। वैध आय प्रमाण पत्र/बीपीएल/एएवाई (राशन कार्ड/खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक) की स्व-सत्यापित प्रति।

ix. प्रवेश के लिए उम्मीदवार की एसएलसी(SLC) संबंधित क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी/डीडीई द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होनी चाहिए।

x. प्रवेश के समय आवश्यक कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़।

माता-पिता/संरक्षक विद्यालय प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज़ भी अपने पास रखेंगे।

5. यदि सफल उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए, सफल उम्मीदवारों को एसएमएस के माध्यम से भेजे गए संदेश के अनुसार 04/10/2024 (शुक्रवार) को दोपहर 01:00 बजे तक विद्यालय से संपर्क करने/रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
6. विद्यालय अपनी विद्यालय आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके विभागीय वेबसाइट यानी www.edudel.nic.in पर कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से आवंटित विद्यार्थी/आवेदक का विवरण विद्यालय प्लांट्स <ईडब्ल्यूएस<ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप रिजल्ट 2024-25 लिंक के माध्यम से देख सकता है।
7. विद्यालय ऊपर बताए गए लिंक का उपयोग करके आवंटित आवेदकों के सभी ऑनलाइन आवेदन विवरण देख सकता है।

इस संबंध में, सरकारी आवंटित भूमि पर चल रहे संबंधित गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से अनुरोध है कि वे निम्न कार्य करें:-

(i) अभिभावकों की जानकारी और सुविधा के लिए विद्यालय गेट के बाहर विद्यार्थियों की सूची का बड़ा प्रिंटआउट लगाएँ।

(ii) कई अभिभावक पहली बार निजी विद्यालयों में जा रहे होंगें। इसलिए, ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के बच्चों के अभिभावकों की सहायता और सुविधा के लिए, संबंधित विद्यालयों को अभिभावकों को दाखिले के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई आदि की औपचारिकताओं के बारे में समझाने के लिए विद्यालय परिसर में हेल्प डेस्क स्थापित करने चाहिए। इन हेल्पडेस्क पर तैनात कर्मचारियों को अभिभावकों/विद्यार्थियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(iii) विद्यालय उन सफल उम्मीदवारों को दाखिला देने से इनकार नहीं करेगा, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल एक अभिभावक का विवरण भरा है।

(iv) विद्यालय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के सफल उम्मीदवारों को महत्त्वहीन बातों के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं किया जाएगा, जैसे - कुछ दस्तावेजों में किसी नाम में एक या दो अक्षर अलग हैं।

(v) संबंधित निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुख ऑनलाइन आवेदन पत्रों में संशोधन/सुधार करने के लिए अभिभावकों को अनावश्यक रूप से विभाग के पास नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस स्तर पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। बल्कि, उन्हें विशिष्ट मामलों की वास्तविकता/योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए और अनुचित/महत्त्वहीन बातों के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करना चाहिए।

(vi) प्रवेश जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए ताकि आवेदक/बच्चे जल्द से जल्द विद्यालयों में शामिल हो सकें।

(vii) विद्यालय EWS/FREESHIP श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लेगा। **इसके अलावा, विद्यालयों को 04/10/2024 (शुक्रवार) से पहले EWS/Freeship श्रेणी के तहत प्रवेश पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मुफ्त किताबें, विद्यालय यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री प्रदान करनी होगी, जैसा कि प्रवेश के समय या किसी भी मामले में अन्य बच्चों के लिए अनिवार्य होता है।**

(viii) विद्यालयों को EWS/FREESHIP श्रेणी के बच्चों के माता-पिता सहित सभी अभिभावकों के लिए परिचयात्मक सत्र आयोजित करने की सलाह दी जाती है।

(ix) विद्यालय को ईडब्ल्यूएस/ फ्रीशिप श्रेणी के सफल उम्मीदवारों के विवरण की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों से करनी चाहिए।

(x) विद्यालय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की आवश्यक जाँच/सत्यापन सावधानीपूर्वक करेगा। विद्यालय को, यदि उपलब्ध हो, तो विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप प्रमाणपत्रों की वास्तविकता को ऑनलाइन (http://edistrict.delhigovt.nic.in) माध्यम से या जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय से लिखित रूप में भी सत्यापित करना चाहिए।

(xi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र जिसमें कुल वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000/- (एक लाख रुपये) से कम घोषित की गई हो, ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए एक वैध दस्तावेज़ है, चाहे वह माता या पिता या बच्चे के कानूनी अभिभावक के नाम पर हो। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि माता-पिता/कानूनी अभिभावक द्वारा एक वैध आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(xii) विद्यालय उन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभिभावकों से आय प्रमाण पत्र नहीं माँगेगा जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी बीपीएल/एएवाई/खाद्य सुरक्षा कार्ड की प्रति प्रस्तुत करते हैं।

(xiii) विद्यालय प्रवेश के समय प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करने की शर्त नहीं रखेगा, स्वयं सत्यापित दस्तावेजों को विद्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, मूल दस्तावेजों का सत्यापन विद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए।

(xiv) विद्यालय कम्प्यूटरीकृत ड्रा में घोषित विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले माता-पिता/संरक्षक के अनुरोध करने पर उचित पावती जारी करेगा।

(xv) विद्यालय कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से आवंटित सभी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल करके विद्यालय में चयन और प्रवेश की अंतिम तिथि के बारे में सूचित करेगा।

(xvi) विद्यालय दूरी के आधार पर ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप श्रेणी के बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा।

सु.वि

(xvii) प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से संबंधित विद्यालय में उनके चयन के क्रम में एक सीरियल नंबर आवंटित किया गया है और उम्मीदवारों की सूची उसी क्रम में संबंधित विद्यालय को ऑनलाइन भेज दी गई है। **विद्यालय चयनित उम्मीदवारों को ऑनलाइन मॉड्यूल पर उपलब्ध कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लॉट द्वारा आवंटित सीरियल नंबर के क्रम में प्रवेश देगा।**

(xviii) विद्यालय 04 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार) तक कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से आवंटित आवेदकों के संबंध में संबंधित विद्यालयों के वेब पेज पर उपलब्ध विकल्पों (प्रवेशित/अनंतिम रूप से प्रवेशित/रिपोर्ट नहीं किया गया/अस्वीकृत/प्रतीक्षारत) के अनुसार वास्तविक प्रवेश स्थिति को अपडेट करेगा। उक्त विवरण विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic पर उपलब्ध लिंक विद्यालय प्लांट<ईडब्ल्यूएस<ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप परिणाम 2024-25 के माध्यम से दैनिक रूप से अद्यतन(अपडेट) किया जाएगा।

(xix) यदि किसी चयनित आवेदक को प्रवेश से वंचित किया जाता है तो विद्यालय उपर्युक्त लिंक पर विस्तार और स्पष्ट रूप से अस्वीकृति का कारण निर्दिष्ट करेगा। कारणों की श्रेणी निम्नलिखित आधारों से चुनी जा सकती है:-

- उम्मीदवार की वैध जन्म तिथि प्रमाण प्रस्तुत न करना।
- वैध निवास प्रमाण प्रस्तुत न करना। वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण प्रस्तुत न करना।
- ऑनलाइन फॉर्म में भरे गए पते के विवरण और दाखिले के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में विसंगति।
- आय प्रमाण पत्र में वार्षिक आय एक लाख प्रति वर्ष से कम नहीं दर्शाई गई है।
- दाखिले के किसी भी चरण में डुप्लीकेट प्रविष्टि पाई जाने पर उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(xx) दाखिले के समय कैपिटेशन शुल्क/दान की माँग पर रोक के संबंध में। "कैपिटेशन शुल्क का अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का दान या योगदान का भुगतान।" राकेश गोयल बनाम मोंट फोर्ट विद्यालय के मामले में एल.पीए. 196/2004 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) के अनुसार कोई भी विद्यालय या व्यक्ति, किसी बच्चे को दाखिला देते समय, माता-पिता से कोई कैपिटेशन शुल्क या दान नहीं लेगा। कोई भी विद्यालय या व्यक्ति जो इस प्रावधान का उल्लंघन करता है और कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है, उसपर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि वसूले गए कैपिटेशन शुल्क से 10 गुना तक हो सकता है।

सभी संबंधितों के लिए सामान्य निर्देश:

1. **कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से आवेदक को आवंटित स्कूल को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा।**
2. यदि प्रवेश के समय आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ किसी भी स्तर पर जाली/नकली या सहायक नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चे का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
3. यदि किसी भी स्तर पर एक से अधिक/डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ पाई जाती हैं, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

4. शिक्षा निदेशालय के निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों से संबंधित सभी शिकायतों के लिए, सभी पीड़ित अभिभावक शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के संबंधित शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ उनके संबंधित जिले के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और विवरण अनुलग्नक-'ए' के रूप में संलग्न हैं।
5. इस संदर्भ में किसी भी स्पष्टीकरण/शिकायत के लिए, अभिभावक/विद्यालय संबंधित उप शिक्षा निदेशक (जिला/क्षेत्र) /सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। सभी जिला (डीडीई/जोन)/सहायक निदेशक से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों का सभी निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा, सभी उप शिक्षा निदेशक (जिला/जोन)/सहायक निदेशक ईडब्ल्यूएस/फ्रीशिप अभिभावकों से सहानुभूतिपूर्वक मिलेंगे और संबंधित स्कूल के साथ समन्वय करके प्रवेश से संबंधित उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, का समाधान करेंगे और यदि आवश्यक हो तो आवेदक के प्रवेश के संबंध में विद्यालयों को उचित निर्देश जारी करेंगे।
6. इस संदर्भ में किसी भी स्पष्टीकरण/शिकायत के लिए, अभिभावक/स्कूल ईडब्ल्यूएस हेल्पलाइन नंबर 9818154069 पर कार्य दिवसों; सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त सभी निर्देश सभी संबंधितों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए जारी किए गए हैं और आदेश का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से जारी किया गया है।

सु. बि

सुषिता बिजू
उप निदेशक (शिक्षा) (PSB)

No. DE.15(118)/PSB/ EWS/2nd onwards /2024/ 5425-5429 **दिनांक:** 20/09/24

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, सचिव (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
2. निजी सचिव, निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
4. सभी उप-निदेशक (शिक्षा) - जिला, शिक्षा निदेशालय, रा. रा. क्षेत्र दिल्ली
5. प्रभारी-कंप्यूटर सेल (विभागीय वेबसाईट के पब्लिक सर्कुलर में अपलोड करने के अनुरोध सहित)

सु. बि.

सुषिता बिजू
उप निदेशक (शिक्षा) (PSB)

Annexure-A

Details of the nodal officers of DoE, for admission in EWS/ Freeship category in classes 2nd onwards in private unaided recognised school for the academic session 2024-25 is as follow:-

S.No	Name & Employee ID of the Nodal Officer	District	Designation	Contact Number
1	Mr. Vikash Kulshrestha, 20050119	**West-A** Govt. Co-ed SSS, Karampura, New Moti Nagar, New Delhi-110015	Vice Principal	7217704262
2	Saleem Ahmad, Emp ID 20040927	**North East-I** RPVV, B-Block, Yamuna Vihar, Delhi-110053,	Vice Principal	9891366784
3	Harjeet Panwar, Emp ID 20170762	**South** Govt. Boys Sr. Seconday School, Sector-3, R.K Puram, New Delhi-110043	Section Officer	8287636838
4	Sh. Kuldeep Singh, Emp ID-20150648	**North West-A** BL-Block, Shalimar Bagh, Delhi-110088	Principal	9910332766
5	Sh. Savita Joon	**North West B-I** FU-Block, Pitampura, Delhi-110088	Principal	9212073100
6	Ms. Kanta Saini, Emp ID-19000021	**South West-A** C-4, Vasant Vihar, Behind Tagore International School, New Delhi-110057	Vice Principal	9999574389
7	Ms. Radhica Arora, Emp ID-19930901	**South East** SKV, C-Block, Defence Colony, New Delhi-110024	Principal	9810946364
8	Sh. Brahamjeet Singh, Emp ID 20040780	**Central/New Delhi** Plot No.5, Old Bhartiya Mahila College Building, Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi-110055	Vice Principal	8630177203
9	Dr. Ram Jeet, Emp ID-19891044	**North West B-II** FU-Block, Pitampura, Delhi-110088	Vice Principal	9818851351
10	Sh. Balwan Singh Dhankhar	**West-B (Zone-17)** GBSSS No-1, G-Block, Vikaspuri, New Delhi-110018	Principal	9968458950
11	Sh. Deepak Kumar (Emp ID-20232552)	**North East-II** GSKV Building, E-Block, Nand Nagri, Delhi-110093	Principal	9810103979
12	Ms. Renu Gupta (Emp ID-20232080)	**North** SV, Lucknow Road, Timarpur, Delhi-110054	Section Officer	9650666886
13	Mr. Shajan John K.	**East** Govt. Co-ed SSS, D-Block, Anand Vihar, Delhi-92	Section Officer	9810312730
14	Sh. Anil Kumar, Emp ID-20040778	**South West B-II** GBSSS No.1, Najafgarh, New Delhi-110043	Vice Principal	9911260807
15	Sh. Anisha Grover, Emp ID-19945133	**South West B-I** GBSSS No.1, Najafgarh, New Delhi-110043	Vice Principal	9910043907